

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 6934

=====

1. कामेश्वर प्र. यादव उर्फ कामेश्वर प्रसाद यादव पुत्र-सुकदेव राय, गाँव-समनपुर, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी।
2. रामाधर यादव, पुत्र बशिष्ठ यादव, गाँव-समनपुर, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी।
3. काशी साह, पुत्र नरसिंह साह, गाँव-समनपुर के निवासी, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।
4. जयश्री प्रसाद यादव, पुत्र निरेखान राय, गाँव-समनपुर के निवासी, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।
5. शैलेंद्र कुमार स्वतंत्रता पुत्र शिववरन ठाकुर, गाँव-समनपुर, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।
4. स्वास्थ्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।

5. मुख्य मलेरिया अधिकारी, बिहार सरकार, पटना।
6. मोतिहारी के जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण।
7. मोतिहारी के जिला मलेरिया अधिकारी, पूर्वी चंपारण।

.....उत्तरदाता/गण

=====

A. श्रेणी-IV/समूह-D पद पर नियुक्ति-परीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से-परीक्षा की प्रक्रिया

का सहारा लिए बिना सीधे नियुक्ति नहीं की जा सकती है।(कंडिका-7)

B. भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-अनुच्छेद 16-चयन की प्रक्रिया-किसी भी पारदर्शी,

न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रक्रिया के अभाव में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अनुभव

का महत्व देना-अवैध-उल्लंघनकारी। (यू. पी. एस. सी. वी. गिरीश जयंती लाल

वागलीला ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1165), (कंडिका-4)

C. भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-अनुच्छेद 16-चतुर्थ श्रेणी/चतुर्थ समूह-घ पद के लिए

चयन-पात्रता मानदंड-दैनिक मजदूरी-कार्य अनुभव-स्वयं एकमात्र/मुख्य मानदंड नहीं हो

सकता है।- न्यायसंगत प्रक्रिया-लिखित परीक्षा-किसी भी प्रावधान के अभाव में।

(इसका उल्लेख किया गया है:- 2019 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 18612; कपिल

कुमार और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य और अनुरूप मामले) (कंडिका-28)

योग्यता के अभाव में-याचिका खारिज हो जाती है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 6934

=====

1. कामेश्वर प्र. यादव उर्फ कामेश्वर प्रसाद यादव पुत्र-सुकदेव राय, गाँव-समनपुर, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी।
2. रामाधर यादव, पुत्र बशिष्ठ यादव, गाँव-समनपुर, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी।
3. काशी साह, पुत्र नरसिंह साह, गाँव-समनपुर के निवासी, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।
4. जयश्री प्रसाद यादव, पुत्र निरेखान राय, गाँव-समनपुर के निवासी, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।
5. शैलेंद्र कुमार स्वतंत्रता पुत्र शिववरन ठाकुर, गाँव-समनपुर, थाना-कुंडवा चैनपुर, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।
4. स्वास्थ्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।

5. मुख्य मलेरिया अधिकारी, बिहार सरकार, पटना।
6. मोतिहारी के जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण।
7. मोतिहारी के जिला मलेरिया अधिकारी, पूर्वी चंपारण।

.....उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री जीतेन्द्र कुमार, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मुजिताउल हक, जीपी-12

श्री प्रनोय कुमार, जीपी-12 के ए. सी.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख:23-01-2024

1. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थियों को पूर्वी चंपारण जिले में चतुर्थ श्रेणी के पद पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को जिला मलेरिया कार्यालय, पूर्वी चंपारण, के तहत दैनिक मजदूरी पर मौसमी कर्मचारी के रूप में डी. डी. टी. स्प्रेयर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके

बाद, उनसे काम लिया जा रहा था और उन्हें मजदूरी दी जा रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ-साथ विद्वान जिला अधिकारी से याचिकाकर्ताओं के मामले पर एक पैनल तैयार करने और उन्हें राज्य सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त करने के लिए विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं ने पिक एंड चूज नीति को अपनाया है क्योंकि कुछ दैनिक वेतन डीडीटी स्प्रेयर को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को समायोजित नहीं किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि गया जिले के कुछ समान रूप से स्थित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें 2010 का सी.डब्ल्यू.जे.सी सं.-17637 था, जिसके बाद उनके द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें 2016 की एम. जे. सी. सं.- 3426 था। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 14.12.2016 के आदेश के माध्यम से कहा था कि आठ जिलों में डीडीटी स्प्रेयर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं, हालांकि, जिला-गया में नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए जिला दंडाधिकारी को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करके प्रस्तुत किया है कि इसी तरह के मुद्दे का निर्णय इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 18.12.2019 के फैसले के माध्यम से किया गया है, में **2019 का C.W.J.C. No.18612 (कपिल कुमार और अन्य बनाम.की स्थिति बिहार राज्य और अन्य)** पारित किया गया है और अन्य अनुरूप मामले, पैराग्राफ सं.- 28 और 29, जिनके बारे में नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"28. ऊपर निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित संवैधानिक प्रावधानों और कानून को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, विज्ञापन को उस हद तक अवैध माना जाता है, जो खंड 7 के उपखंड (1) (2) (3) (4) (5) और (6) के तहत वरीयता की अनुमति देता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, उत्तरदाताओं के लिए चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बाद कार्य अनुभव रखने वालों के लिए तर्क के आधार पर कुछ उचित महत्व की अनुमति देना खुला हो सकता है, दैनिक वेतन के रूप में कार्य अनुभव, चयन और नियुक्ति के लिए एकमात्र/मुख्य मानदंड नहीं हो सकता है। प्रतिवादी वैधानिक नियमों और संवैधानिक के अनुसार चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं। आदेश। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि चतुर्थ श्रेणी (समूह-डी) पदों के चयन और नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसमें चयन की कोई स्पष्ट और निश्चित प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। यदि विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कोई पारदर्शी, निष्पक्ष और अपक्षपाती प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, तो योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित मौका नहीं मिल सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत निहित गारंटी का उल्लंघन होगा। जैसा की **यू. पी. एस. सी. बनाम गिरीश जयंती लाल वागलीला** (ऊपर) के मामले में आयोजित किया गया है,

29. इन रिट आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जाता है उत्तरदाताओं, विशेष रूप से, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, आयुक्त, मगध प्रभाग, गया और जिलाधिकारी, गया को यह

सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ कि विचाराधीन विज्ञापन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाकर पूरी की जाए। मेरी राय में, नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, उक्त विज्ञापन के खिलाफ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित करना योग्यता-सूची तैयार करने के लिए एक उचित प्रक्रिया होगी। यह, मेरी राय में, चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। चूंकि विज्ञापन छह साल से अधिक समय पहले जारी किया गया था, इसलिए उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे पदों के लिए चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त करें, जो विज्ञापन जारी करने की तारीख पर उपलब्ध थे। उत्तरदाताओं को आगे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि चयन की एक निष्पक्ष प्रक्रिया, सख्ती से वैधानिक नियमों के अनुसार और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश के अनुरूप नियमित आधार पर पद की संख्या का विज्ञापन करने के बाद, की जाए, ताकि एक चयन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद पात्रता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को बाद की चयन प्रक्रियाओं में तलाश करने और भाग लेने का मौका मिले। सार्वजनिक पदों को भरने के लिए चयन की प्रक्रिया में निष्पक्षता की यह प्रथा शासन, कानूनों और संविधान में नागरिकों के दिल और दिमाग में विश्वास पैदा करती है।”

5. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कपिल कुमार और अन्य (उपरोक्त) के मामले में दिए गए उपरोक्त निर्णय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए, जिसके तहत और जिससे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अनुभव का महत्व देकर एक पैनल तैयार करके देखें दिनांकित 25.06.09 का ज्ञापन पहले की गई चयन प्रक्रिया को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का अवैध और

उल्लंघनकारी पाया गया है और इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि दैनिक वेतन सरलीकरणकर्ता के रूप में कार्य अनुभव स्वयं चयन और नियुक्ति के लिए एकमात्र/मुख्य मानदंड नहीं हो सकता है। लिखित परीक्षा आयोजित करने के विपरीत नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में योग्यता सूची तैयार करने के लिए एक उचित प्रक्रिया होगी, बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से दिनांक 23.06.2020 जारी की है, जिसके तहत और जिसके तहत अब समूह- डी (घ) पदों को प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाना आवश्यक है। कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा से बनाया जाना आवश्यक है। उक्त अधिसूचना दिनांक 23.06.2020 के प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

" उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

- (i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत उक्त विभागीय परिपत्र संख्या / ज्ञापांक- 7365 दिनांक 29.06.2011 को रद्द किया जाता है।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या / ज्ञापांक- 7365 दिनांक 29.06.2011 के निर्देशों के अनुरूप कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों / जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में निहित अभ्यर्थियों की कार्यानुभव आधारित प्राथमिकता निर्धारण से संबंधित मानदंड नियुक्ति प्रक्रिया में लागू नहीं माने जाएँगे।
- (iii) संबंधित सभी विभागों / जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में समर्पित हुए आवेदन तथा संदर्भित विज्ञापनों की प्रतिलिपि और आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना सहित संबंधित अभ्यर्थियों की प्रमाणिक सूचियों (Hard Copy with Soft Copy) की माँग सामान्य प्रशासन

विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी और उन्हें समेकित रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजा जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के स्तर से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ऑन लाइन समर्पित आवेदनों का सत्यापन आयोगद्वारा आलोच्य कागजात से मिलान कर किया जाएगा।

(iv) उक्त विभागीय पत्र के अनुरूप विभिन्न विभागों / जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में समर्पित आवेदनों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के बीच One time measure के रूप में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसके लिये विज्ञापन का प्रकाशन तथा परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा किया जायेगा। विज्ञापन के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन दिया जाएगा।

(v) माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या / ज्ञापांक- 7365 दिनांक 29.06.2011 में निहित समूह 'घ' के कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की कार्यानुभव आधारित प्राथमिकता संबंधी मानदंड को निरस्त कर दिये जाने के कारण उक्त मानदंडों के अनुरूप विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई नियुक्तियों से संबंधित व्यक्ति भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे।

(vi) परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, जो दसवीं / समकक्ष स्तर के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक गणित और सामान्य हिन्दी ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होगा।

(vii) परीक्षा भशुल्क का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा किया जाएगा।

(viii) कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) की नियुक्ति की उपर्युक्त प्रक्रिया से आच्छादित पूर्व से विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध विभाग / जिला स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई विभाग/जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। इस हेतु स्वच्छ विज्ञापन का प्रकाशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। "

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को अब कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा, इसलिए वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका खारिज करने के लिए उपयुक्त है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ, दिनांकित निर्णय द्वारा 18.12.2019, 2019 के **सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.- 18612 में उत्तीर्ण (कपिल कुमार और अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य)** और अन्य समान मामले में इसने अभिनिर्धारित किया है कि दैनिक वेतन सरलीकरणकर्ता के रूप में कार्य अनुभव, समूह-डी पद पर चयन और नियुक्ति के लिए अपने आप में एकमात्र/मुख्य मानदंड नहीं हो सकता है, इसलिए चयन की प्रक्रिया को एक निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाकर समाप्त किया जाना चाहिए, अर्थात् उन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित करना जिन्होंने विचाराधीन विज्ञापन के खिलाफ आवेदन किया है, जिसके बाद, उत्तरदाताओं ने दिनांक 18.12.2019 के उक्त निर्णय के अनुपालन में, दिनांक 23.06.2020 की अधिसूचना जारी किया है, जिसमें यह

अभिनिर्धारित किया गया है कि समूह-डी पदों पर नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, ऐसी नियुक्तियां करने के लिए आवश्यक विज्ञापन जारी करने के बाद और उक्त प्रक्रिया उन मामलों में भी लागू होगी जहां विज्ञापन पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को अब वर्ग-4 के पदों/समूह-डी के पदों पर सीधे नियुक्त नहीं किया जा सकता है, परीक्षा की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांकित 23.06.2020 में निर्धारित किया गया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए वही खारिज हो जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सोनल/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।